



संदर्भ सं. राबैं.पुनर्वित्त-नीति / २४११ /आईएस-1/2019-20  
परिपत्र सं. 76/पुनर्वित्त- 15 /2020

31 मार्च 2020

अध्यक्ष  
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय

<p><b>31.05.2020 तक विस्तारित अवधि के लिए फसल ऋण पर बैंकों को 2% ब्याज सहायता और किसानों को 3% शीघ्र चुकौती प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु</b></p> <p>कृपया अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना के हमारे निर्देशों का संदर्भ लें।</p> <p>2. कोविड -19 महामारी के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर, लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कई किसान अपने अल्पकालिक फसली ऋण बकाया के भुगतान के लिए बैंक शाखाओं तक पाहुच पाने में सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा लोगों की आवाजही पर प्रतिबंध और समय पर उनकी उपज की बिक्री में कठिनाई और उसके भुगतान की प्राप्ति के कारण, किसानों को इस दौरान अपने बकाया अल्पकालिक फसली ऋणों के पुनर्भुगतान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।</p> <p>3. इसके अलावा, भारत सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 27.03.2020 की अधिसूचना के जरिये (प्रति संलग्न), सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय</p>	<p><b>Providing 2% Interest Subvention to Banks and 3% Prompt Repayment Incentive to farmers on crop loans for the extended period upto 31.05.2020</b></p> <p>Please refer to our instructions on Interest Subvention Scheme for short term crop loans.</p> <p>2. In the wake of the lockdown due to Covid-19 pandemic, there have been restrictions imposed on movement of people. Many farmers are not able to travel to bank branches for payment of their short term crop loan dues. Moreover, due to restrictions on movement of people and difficulty in timely sale and receipt of payment of their produce, farmers may be facing difficulties in repayment of their short term crop loans falling due during this time.</p> <p>3. Further, GoI had, through RBI notification dated 27.03.2020 {copy enclosed}, already granted a moratorium of three months on repayment of all installments falling due between 01.03.2020 and</p>
---	--

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

विभाग नाम

प्लॉट नं सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)  
**Department of Refinance**

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

[www.nabard.org](http://www.nabard.org)

Taking Rural India >> Forward

ग्रामीण बैंक, एस एफ बी और स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित) और सहकारी बैंकों के सभी ऋणों (मियादी कृषि ऋण, खुदरा और फसल ऋणों सहित) और कार्यशील पूंजी ऋणों के संबंध में 01.03.2020 और 31.05.2020 के बीच में आने वाली सभी किश्तों के पुनर्भुगतान पर पहले से ही तीन महीने की मोहलत दे दी है। ।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने की स्थिति का सामना न करना पड़े और उन्हें 4% की रियायती ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण का लाभ मिलता रहे, जो की समय पर भुगतान करने पर हे मिलता है, इसलिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (उनके दिनांक 30.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा -प्रतिलिपि संलग्न) तय किया गया है की 7% प्रति वर्ष की दर से बैंकों द्वारा दिये गए 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि के फसली ऋण जो 01.03.2020 और 31.05.2020 के बीच चुकौती के लिए बकाया हो, उन पर बैंकों को 2% ब्याज सहायता और किसानों को 3% शीघ्र चुकौती प्रोत्साहन की उपलब्धता 31.05.2020 तक या वास्तविक भुगतान की तारीख तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी।


5. बैंकों को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

31.05.2020 in respect of all term loans (including agriculture term loans, retail and crop loans) and working capital loans taken from all Commercial Banks (including RRBs, SFBs and Local Area Banks) and Cooperative Banks.

4. In order to ensure that farmers do not have to face the situation of paying penal interest and they continue to get the benefit of short term crop loan at concessional interest rate of 4% p.a. which is applicable on timely repayment, it has been decided by Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India (vide their office memorandum dated 30.03.2020-copy enclosed), to continue with 2% Interest Subvention to Banks and 3% Prompt Repayment Incentive to farmers for the extended period of repayment of short term crop loans upto 31.05.2020 or upto date of actual repayment whichever is earlier, for the short term crop loan of upto Rs 3 lakh per farmer given by Banks @7% p.a. which have fallen due or shall fall due between 01.03.2020 and 31.05.2020.

5. Banks are advised to take appropriate action in this regard.

भवदीय



(जिजि माम्नेन)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : उपरोक्त अनुसार